न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

बईजलास –दिनेश कुमार यादव, जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

भरण पोषण अपील संख्या 38/2019

अपीलांट	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
भंवरलाल पुत्र धुकलराम जाति जाट (भांबू) निवासी बिखरनियां खुर्द तहसील डेगाना जिला नागौर		मीरादेवी पत्नि भंवरलाल जाति जाट निवासी बिखरनियां खुर्द तहसील डेगाना जिला नागौर

आदेश दिनांक 13-8-2019

अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट डेगाना द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत दर्ज प्रकरण संख्या–2/2017 मीरादेवी बनाम भंवरलाल में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2018 से व्यथित होकर दिनांक 03.06.2019 को यह अपील पेश की है। अपीलांट ने प्रस्तुत अपील के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपीलान्ट की अपील तावे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अधिनस्थ अधिकरण के समक्ष पेशी दिनांक 20.06.2017 को अपीलांट के बयान लिये तत्पश्चात् आगामी पेशी दिनांक 19.07.2017 को दी गई किन्तु उसके पश्चात् अपीलांट को इस प्रकरण में कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई। दिनांक 15.11.2017 के पश्चात् इस प्रकरण में सीधे 29.06.2018 को अपीलांट की गैर मौजूदगी में अपीलांट को बिना जानकारी दिए आदेश जैर अपील पारित कर दिया। अभी हाल ही में पुलिस थाना का सिपाही वसूली के लिए आया तब अपीलांट को उसने आदेश जैर अपील की जानकारी दी। तब अपीलांट ने अधिनस्थ अधिकरण में दिनांक 27.05.2019 को नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 29.05.2019 को प्राप्त हुई तब अपीलांट को सर्वप्रथम सम्पूर्ण जैर अपील आदेश की जानकारी हुई। न्यायहित में आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अन्दर शुमार किये जाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है, इसलिए अपीलान्ट का मयाद प्रार्थना पत्र खारिज करने का अनुरोध किया। अपीलान्ट द्वारा के अपील के साथ प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार करने के पश्चात अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट मीरादेवी ने विरूद्ध अपीलांट एक आवेदन धारा 5(1)(5) और (ख) माता–पिता एंव वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिकरण अधिकारी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डेगाना के समक्ष भरण पोषण दिलाने हेतु पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को जरिए नोटिस तलब किया। अप्रार्थी/अपीलांट की ओर से जवाब पेश किया गया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षों की साक्ष्य लेकर दिनांक 29.06.2018 को आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जिस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलांट निम्न आधारों पर अपील पेश की गई है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील पूर्णतया अवैध एंव विधि विरूद्ध ढंग से पारित किया गया होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने माता–पिता एंव वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण अधिनियम 2007 में वर्णित प्रावधानों के बाहर जाकर जो आदेश जैर अपील पारित किया है, जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट मीरादेवी अपीलांट की पत्नि है और माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में एक पत्नि अपने पति

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

से सामाजिक खर्च के रूप में कोई राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी हो, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। अपितु यह अधिनियम ऐसे माता–पिता जो वृद्ध हो व उनकी आय का कोई साधन नहीं हो अपनी संतान से भरण पोषण प्राप्त कर सकते है, यह प्रावधित किया गया है। किन्तु इस अधिनियम के तहत एक पत्नी को पति व पुत्रियों को अपने पिता के विरूद्ध कोई अधिकार नहीं होने के बावजूद भी अधिनस्थ अधिकरण ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जो आदेश जैर अपील पारित किया है। वह निरस्त किए जाने योग्य है।

अधिनस्थ अधिकरण के समक्ष पेशी दिनांक 20.06.2017 को अपीलांट के बयान लिये तत्पश्चात् आगामी पेशी दिनांक 19.07.2017 को दी गई किन्तु उसके पश्चात् अपीलांट को इस प्रकरण की कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई। दिनांक 15.11.2017 के पश्चात् इस प्रकरण में सीधे 29.06.2018 को अपीलांट की गैर मौजूदगी में अपीलांट को बिना जानकारी दिए आदेश जैर अपील पारित कर दिया। इस प्रकरण अधिनस्थ अधिकरण द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया अवैध एंव विधि विरूद्ध ढंग से की जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट मीरादेवी द्वारा एक अन्य प्रकरण अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल जज डेगाना के समक्ष घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अपीलांट के विरूद्ध भरण पोषण व खर्च हेतु कार्यवाही पहले से ही पेश की हुई है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनिस्थ अधिकरण के समक्ष उक्त कार्यवाही चलने योग्य नहीं थी फिर भी अधिनस्थ अधिकरण ने जो आदेश जैर अपील पारित किया है वह काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डेगाना द्वारा प्रकरण संख्या 2/17 में पारित आदेश दिनांक 29.06.2018 निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट मीरादेवी ने बहस में कथन किया कि मेरी शादी अपीलान्ट के साथ 50 वर्ष पूर्व हिन्दू रिति रिवाज से हुई थी। मेरे तीन बेटिया है, जिनकी शादियां हो चुकी है। अपीलान्ट के दूसरी पत्नी राजू देवी नाता आई है, जो मेरी राय से नहीं आई है। अपीलान्ट ने अपनी मर्जी से नाता कर लिया था। मुझे अपने मकान में रहने के लिए एक कमरा भी नहीं दिया। अपीलान्ट मेरे साथ हरदम मारपीट करता है। जिसके कारण मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ कुचेरा रहती हूँ कभी कभी मैं मेरे पीहर डेर की ढ़ाणी में आती जाती रहती हूँ। इनकी मौजा डेर की ढ़ाणी भैरून्दा में पाव बीघा जमीन में एक टयूबवेल बनी हुई है, जो 6 जनों के शामलात है। उक्त ट्यूबवेल की कमाई अपने हिस्से की खुद ही रख लेते है। मेरे पर सोने व चांदी का जो आरोप लगा रहे है वह सरासर झूठ व निराधार है। उक्त टयूबवेल में मेरा या मेरी बेटियों का किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। मेरा नये राशन कार्ड में से नाम भी हटा दिया गया है। मेरा निजी व घरेलू खर्च हेतु किसी प्रकार का सांधन नहीं है, जिसके कारण मेरा व मेरी तीनों बेटियां के लिए सामाजिक खर्च हेतु संसाधन की जरूरत है जो मेरे पति अपीलान्ट की सम्पति के हिसाब से खर्चा हर महिने उपलब्ध कराने का निवेदन किया है।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट मीरादेवी द्वारा माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम–2007 के तहत स्वंय का भरण पोषण हेतु अपने पति अपीलान्ट के विरूद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.06.2018 से अपीलान्ट भंवरलाल को रेस्पोडेन्ट मीरादेवी के बैंक खाता में प्रतिमाह की 5 तारीख तक 4000/–रूपये अक्षरे चार हजार रूपये जमा कराने का आदेश दिया गया है। माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का अवलोकन किया गया जिसके तहत पत्नी द्वारा अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का कोई स्पष्ट प्रावधान प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट मीरादेवी द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय डेगाना के न्यायालय में घरेलू हिसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मुकदमा संख्या 29/2016 मीरा बनाम भंवरलाल दर्ज करवाया हुआ है एवं वर्ष 2016 में धारा 125 सी.आर.पी.सी. के तहत रेस्पोडेन्ट मीरादेवी द्वारा अपीलान्ट भंवरलाल से

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

भरण पोषण प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय डेगाना के न्यायालय पेश किया हुआ है, जो अपीलान्ट द्वारा अभी न्यायालय में विचाराधीन होना बताया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश जैर अपील विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट डेगाना द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.06.2018 को अपास्त किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट डेगाना को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट को नियमानुसार निशुल्क निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट नागौर

(दिनेश कुमार यादव)
जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर